

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व विवाद नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नदशे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकमात्र स्थिति केवल आवासीय रूपरेखा
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 65 दिनांक 02/05/2013

सी + 1
आवासीय

प्रार्थी श्री कुमारी सुखदेवी @ श्रीमती भुवनेश्वरी देवी w/o सुखदेवी जी ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 14,613/- को जमा कर रसीद संख्या 1005/1582-13/19 दिनांक 02/05/19 को जमा करा दी है ।

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

P.No: 64 खसपसंग 75/0
जोधपुर, अशोक नगर
कोलोनी शोभावन
ढाँके के प

नकशा प्राप्त किया
अंकित शर्मा